

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15/12/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण एवं वादीगण को आवजे रूक रूक कर लगवायी गई। वादीगण एवं वादीगण के वकील उपाधित नहीं आये एवं नाही उनकी दोर से अधिकृत विधिक व्याप्ति उपाधित है।

सतः दावा अदम पैरवी अदम छाजरी में खारिज किया जाता है।

दावा फैसल शुमार है।

निर्णय आज दिनांक 15/12/2022 को करे इजलास सुनाया गया।

44

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर